मेरठ विकास प्राधिकरण

की

21वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 23-4-83

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 23-4-83

समय :

स्थान :

उपस्थिति :

1-	श्री आर०डी० सोनकर	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री ओ०पी०शर्मा	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3-	श्री एस०एन०नवी	आवास विकास	विशेष आमंत्री
4-	श्री एस०पी०माथुर	सिचाई विभाग	विशेष अतिथि
5-	श्री आर०पी०मित्तल		विशेष अतिथि
6-	श्री सी०डी०माथुर	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम	सदस्य
7-	श्री जे०पी०गुप्ता	अधि०अभि०, जलनिगम ।	सदस्य
8-	श्री रामसिंह अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता,सा०नि०वि०	विशेष अतिथि
9-	श्री एन०एस०जौहरी	वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य
9-	श्री श्री टी०जार्ज जोजफ		सदस्य

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे:-

1-	श्री धर्मेन्द्र देव	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
2-	श्री माधव स्वरुप श्रीवास्तव	उपसचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
3-	श्री ओ०पी०सिंह	अधिशासी अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
4-	श्री चन्द्रकिरण सिंह	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मे०वि०प्रा०,मेरठ ।
5-	श्री भारत भूषण	वास्तुविद नियोजक, मे०वि०प्रा०,मेरठ ।

कार्यवाही का विवरण

मद संख्या -1

गत बैठक के कार्यवृत्त की कार्यवाही की पुष्टि।

गत बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया । इस कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या -2

गत बैठक दिनाँक 28-2-83 के निर्णयों पर की गयी अनुपालन कार्यवाही की आख्या।

जिन मदों के सम्बन्ध में अनुपालन अपेक्षित था उनकी गहराई से समीक्षा की गयी । भूमिया पुल आवासीय एवं व्यवसायिक योजना के प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उन्होंने अभिनिर्णय राजस्व परिषद को स्वीकृति के लिये भेज दिया है और वही दर पुन: प्रस्तावित की हैं जो पहले भेजी गयी थी । विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्देश दिया गया कि इस मामले में राजस्व परिषद के स्तर पर यथोचित कार्यवाही की जाये क्योंकि 105/- रुपये प्रति वर्गमीटर की प्रस्तावित दर से निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये विकसित करने पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा ।

राजकीय इन्टर कालेज की भूमि पर व्यवसायिक तथा आवासीय योजना को समाप्त किया जाये क्योंकि शिक्षा विभाग के आग्रह के अनुसार यदि भूमि का मूल्य बाजार दर पर दिया जायेगा तो यह योजना अलाभकर हो जायेगी तथा अपना मूल उद्देश्य भी खो देगी ।

13 अनुचरों के पद सृजन के सम्बन्ध में उपसचिव, वित्त, श्री के० के० सिन्हा को बाँछित सूचनायें यथासमय भेज दी गयीं फिर भी उनका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ जबकि एक महीने के भीतर उन्हें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था । दूसरी ओर प्राधिकरण के कार्य में बाधा पड रही हैं अत: इन पदों के औचित्य पर गहराई से विचार किया गया तथा यह पाया गया कि शासन द्वारा बनाये गये स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार वर्तमान स्थिति में 13 अनुचरों के नये पद सृजित करने का पूर्ण औचित्य विद्यमान है । अत: गत बैठक के निर्णय के अनुसार ये सभी पद स्वीकृत माने जायेंगे । यह भी निर्देश दिया गया कि इन पदों को विधिवत चयन के द्वारा भरा जाये जिसमें पहले से दैनिक वेतन परकार्य करने वाले कर्मचारी- यदि वे अर्हता रखते हैं तथा बाद में नये अभ्यर्थी सम्मिलित किये जायें ।

मद संख्या -3

संशोधित बजट बर्ष 1982-83 तथा प्रस्तावित बजट बर्ष 1983-84 की स्वीकृति का प्रस्ताव।

बर्ष 1982-83 के संशोधित बजट तथा बर्ष 1983-84 के प्रस्तावित बजट पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित अभ्युक्तियों के साथ स्वीकृत किया गया -

(1) बर्ष 82-83 के बार्षिक लेखा से तुलना करने पर यह प्रकट हुआ कि "अग्रिमों का प्राविधान" शीर्षक के अन्तर्गत 31-1-83 तक रुपये 64,669-91 अग्रिम दिखाया गया जबकि 31-3-83 तक अग्रिमों की धनराशि बढकर रु० 1,13,767-11 हो गयी। वरिष्ठ लेखाधिकारी ने बताया कि इनमें से कुछ अग्रिम 1981 के भी समायोजन के लिये अवशेष है। यह स्थिति आपत्तिजनक एवं चिन्ताजनक है। अत: इन अग्रिमों की गहराई से छानबीन की जाये तथा समायोजन प्राप्त किया जाये और जिन मामलों में गडबडी पायी जाये उनमें सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाये और आवश्यक होने पर गबन के आरोप में भी अभियोग भी दर्ज कराया जाये।

(2) भविष्य में अग्रिमों का प्राविधान नामक शीर्षक न लिखा जाये क्योंकि अग्रिमों की आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत किये गये व्यय प्राविधानों से हो सकती है।

(3) उपकरण एवं भण्डार दोनों पृथक वस्तुयें हैं अत: उनको एक शीर्षक के अन्तर्गत न दिखाया जाये बल्कि दो पृथक शीर्षक कायम किये जायें।

(4) गाडी के क्रय को पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाये तथा रख-रखाव पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाये।

(5) मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत श्री के० एस० गुप्ता, सहायक अभियन्ता जो गलत नाप के आधार पर बर्ष में 1,17,364-58 के अधिक भुगतान कराने के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पायें गये हैं, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तेजी के साथ पूरी की जाये।

मद संख्या - 4

पल्लवपुरम आवासीय योजना में पुलिस थाना बनाने हेतु भूमि का हस्तान्तरण।

इस बिषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। यह अनुभव किया गया कि मोदीपुरम की जनसंख्या तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित होने वाली पल्लवपुरम कालोनी में बसने वाली जनसंख्या को देखते हुए पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत एक थाने की स्थापना आवश्यक है। यह योजना निर्माणाधीन है तथा इसमें 7000 वर्गमीटर क्षेत्रफल थाने के लिये सुरक्षित किया गया है। इसी भूमि में से मोदी रबर लि० ने पुलिस चौकी के निर्माण के लिये 6000 वर्गमीटर भूमि माँगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो बैठक में विशेष आमन्त्री के रुप में उपस्थित थे, ने स्पष्ट किया कि यदि मोदी रबर लि० प्राधिकरण से भूमि लेकर थाना का भवन बना दे और बाद में उसे गृह विभाग को हस्तान्तरित कर दे तो सम्भवत: शासन को आपत्ति न हो। विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि मोदी रबर लि० को उक्त उद्देश्य के लिये 6000 वर्गमीटर भूमि पट्टे पर इस उपबन्ध के साथ दे दी जाये कि वे इस पर थाना भवन तथा स्टाफ के आवास बनायेंगे और भूमि सहित गृह विभाग को नि:शुल्क हस्तान्तरित करेंगे। हस्तान्तरण के लिये सुझाये गये अनुमानित मूल्य रु० 125/- प्रति वर्गमीटर पर भी विचार किया गया और यह अनुभव किया गया कि यह दर लोकोपयोगी उद्देश्य के लिये दी जाने वाली भूमि पर लागू नहीं होनी चाहिए बल्कि रियायती दर लागू होनी चाहिए। अत: यह रियायत देने के लिये मूल्य का कुछ भाग उच्च आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के भूखण्डों से लिया जाना चाहिए। विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा अपनायी गयी पद्धति का पता लगा लिया जाये और उस दर में जो रियायत सम्भव हो, दे दी जाये।

मद संख्या - 5

आबू नाले को पाटकर व्यवसायिक केन्द्र के रुप में विकसित करने का प्रस्ताव ।

इस बिषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी । विचार-विमर्श के उपरान्त यह अनुभव किया गया कि आबू नाले को पाटकर व्यवसायिक केन्द्र बनाने में कई विभागों तथा संस्थाओं से सम्बन्धित समस्याये सामने आयेंगी । अत: इस प्रकार की किसी योजना को अन्तिम रुप देने से पहले सम्बन्धित अधिकारियों से विचार-विमर्श करना आवश्यक है । अत: यह निर्णय किया गया कि प्रस्तावित डिजाईन प्रतियोगिता आयोजित कर ली जाये लेकिन इस प्रतियोगिता के फलस्वरुप प्राप्त होने वाले डिजाईन का उपयोग उपर्युक्त अधिकारियों से विचार - विमर्श के उपरान्त किया जायेगा । इसके लिये एक समिति भी गठित की गयी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

1- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण - संयोजक
2- प्रशासनक, नगर महापालिका के प्रतिनिधि
3- जिला मजिस्ट्रेट
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
5- सहयुक्त नगर नियोजक
6- अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
7- अध्यक्ष, शिविर पालिका के प्रतिनिधि

यह भी निर्णय किया गया कि यह समिति ही उक्त डिजाईन पर विचार करेगी तथा जो निर्णय लेगी उसके आधार पर परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा जिसमें जो-जो कार्य होना है उसका पूर्व विवरण दिया जायेगा । समिति की संस्तुति प्राधिकरण की अगली बैठक में विचारार्थ रखी जायेगी ।

मद संख्या - 6

थापर नगर में नाले एव सडक के बीच की भूमि के विकास का प्रस्ताव।

इस बिषय पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श हुआ। यह अनुभव किया गया कि थापर नगर नाले तथा उसके बराबर से जाने वाली सडक और मध्यवर्ती भूमि, जिसका विकास प्रस्तावित है, नगर महापालिका की सम्पत्ति है और उसके रख-रखाव की जिम्मेवारी भी नगर महापालिका की है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित विकास, प्राधिकरण के बजाय नगरमहापालिका को करना चाहिए। अध्यक्ष ने बताया कि यदि महापालिका के पास धन की कमी है तो प्राधिकरण की विकास निधि में उपलब्ध धनराशि नगर महापालिका की माँग पर उपलब्ध की जा सकती है जिसके लिये 1980 में प्राधिकरण का निर्णय हो चुका है। अत: यह निर्णय हुआ कि यदि महापालिका की ओर से इस कार्य के लिये धनराशि की माँग की जाये तो उक्त प्रस्ताव के अनुसार धनराशि हस्तान्तरित कर दी जाये।

मद संख्या - 7

भूमिया पुल के पास मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी 3035 वर्गमी० भूमि थाना बनाने के लिये पुलिस विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव।

भूमिया पुल के समीप थाने के निर्माण के लिये 3035 वर्गमीटर भूमि पुलिस विभाग को हस्तान्तरित करने की माँग पुलिस अधीक्षक (नगर) द्वारा की गयी। विशेष आमन्त्री के रुप में उपस्थित ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि लिसाडी गेट थाना इस समय किराये के जिस भवन में है, उसे खाली करने का नोअिस मिल गया है और भूमियापुल के आसपास की आबादी को देखते हुए तथा उस क्षेत्र में हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों का विचार करते हुए इस थाने को इस क्षेत्र से दूर ले जाना सम्भव न होगा और इसी क्षेत्र में थाना स्थपित होना है तो प्राधिकरण की भूमि के अलावा और कोई भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि यह भूमि पुलिस विभाग को दे दी जाये। यह स्पष्ट किया गया कि चूँकि यह भूमि व्यवसायिक उद्देश्य के लिये विकसित की गयी हैं अत: इसके मूल्य का कुछ भाग उच्च आय वर्ग तथा

मध्यम आय वर्ग के भूखण्डों में स्थानान्तरित करना सम्भव न होगा । शासन को इसका पूरा मूल्य देना पडेगा जो रुपये 350/- प्रति वर्गमीटर होगा । अन्त में सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि प्राधिकरण यह भूमि पुलिस को रुपये 350/- प्रति वर्गमीटर की दर पर इस उपबन्ध के साथ हस्तान्तरित कर दे कि यदि 30 मई, 1983 तक मूल्य जमा न हुआ तो प्राधिकरण इस भूमि का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिये कर लेगा ।

मद संख्या - 8

सूरजकुण्ड सौन्दर्यीकरण एवं विकास योजना के अन्तर्गत कुण्ड क्षेत्र में पानी भरने क बजाय भू-विन्यास का प्रस्ताव ।

उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सीपेज को दूर करने के लिये कुण्ड का फर्श पक्का करने का सुझाव रुडकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने दिया है । इस पर अनुमानित व्यय रु० 15 लाख आयेगा । पिछली बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार इस कार्य के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया और शासन के पर्यटन विभाग तथा आवास विभाग को भेजा गया । पर्यटन विभाग ने इस कार्य के लिये अनुदान देना अस्वीकार कर दिया है जबकि आवास विभाग से अभी कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है । किन्तु पर्यटन विभाग के उत्तर को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस कार्य के लिये बाँछित अनुदान प्राप्त नहीं हो सकेगा जबकि प्राधिकरण के पास इतने साधन नहीं है कि इसको पक्का कराया जा सके । इस बीच नागरिकों ने यह बताया है कि यदि कुण्ड को भरा जाये तो पानी अवश्य रुकेगा क्योंकि पिछले एक दो बर्षो को छोडकर सभी बर्षो में बरसात का पानी कुण्ड में रुका है । उनकी राय में बर्षा कम होने के कारण गत दो बर्षो मे पानी नहीं रुक सका । अत: एक बार कुण्ड को नगर महापालिका के समीपवर्ती नलकूप से भरना ठीक रहेगा । इन तथ्यों पर विचार - विमर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया कि यदि कुण्ड में पानी भरकर ठहर जाये तो चारो ओर के पार्को का भू-विन्यास लैण्ड स्कैपिस्ट से करा लिया जाये और यदि पानी न रुके तो कुण्ड के भीतर का भू-विन्यास लैण्ड स्कैपिस्ट से तैयार करा लिया जाये ताकि कुण्ड पिकनिक के लिये उपयुक्त स्थान बनाने की योजना पूर्ण रुप से बना ली जाये ।

मद संख्या -9

द्वितीय अभियन्त्रण खण्ड के सृजन का प्रस्ताव।

बर्ष 1983-84 में प्रस्तावित कार्यो को देखते हुए यह माँग की गयी है कि द्वितीय अभियन्त्रण खण्ड के सृजन की अनुमति प्रदान की जाये । इस माँग के औचित्य के सम्बन्धमें विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया और यह अनुभव किया गया कि प्राधिकरण, पल्लवपुरम आवासीय योजना, विकास भवन के निर्माणकी योजना तथा नियमित कालोनियों को विकसित करने की योजना पहले ही स्वीकृत कर चुका है । अत: इस कार्य को शीघ्रतिशीघ्र पूरा कराने के लिये द्वितीय अभियन्त्रण खण्ड खोलने का पूर्ण औचित्य विद्यमान है । अत: द्वितीय अभियन्त्रण खण्ड की स्थापना की अनुमति प्रदान की गयी और यह निर्देश दिया गयाकि खण्ड के लिये प्रस्तावित कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे-जैसे काम बढता जाये, वैसे-वैसे की जाये ।

इसके पश्चात अध्यक्ष ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की ।

पुष्टि की गयी ।

ह०/-

वी०के० गोस्वामी

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।